यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/55/2020 **दिनांक :** 29.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन

देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के कामगारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है जिसे एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपने परिपत्र दिनांक 26.3.2020 के माध्यम से पुर्नप्रसारित किया है। हम इस ज्ञापन का अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

महोदय,

हम, केन्द्रीय श्रम संगठन, लॉकडाउन को कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में आवश्यक कदम के रूप में लेते हुए, मानते हैं कि 24 मार्च को राष्ट्र के प्रति आपके संबोधन में स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित 15000 करोड़ रूपये अत्यधिक तुच्छ हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि देश के उन सभी संक्रमित मामलों का परीक्षण करने और संपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने की सख्त जरूरत है। वेंटिलेटर, मास्क, बेड क्षमता में वृद्धि, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता के रखरखाव आदि की व्यवस्था के लिए युद्ध जैसी तैयारियों की आवश्यकता है। चिकित्सा सहायता के मामले में सबसे आगे के सिपाही हमारे डॉक्टर, नर्स, अन्य पैरा मेडिकल कर्मचारी, आशा और सफाई कर्मचारी, आदि हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यह वे हैं जिन्हें उपेक्षित किया जा रहा है और पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं जैसा कि एम्स रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, देश के कई हिस्सों से नर्सों के संगठनों सहित उनके अनुरोध और शिकायतें सबके देखने के लिए सार्वजनिक हैं। हम इस तथ्य से निराश हैं कि फरवरी की शुरूआत में ही इसे रोकने के डब्ल्यूएचओ के निर्देशों के बावजूद भारत सरकार ने 19 मार्च 2020 तक कोविड–19 से लड़ने में इन सभी आवश्यक उपकरणों के निर्यात की अनुमति दी थी।

जारी पृष्ठ 2

यह आपके ध्यान में आया होगा कि विभिन्न शहरों में आवासीय परिसर खाली करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों आदि के उत्पीड़न की शर्मनाक हरकते हुई हैं। एअर इंडिया के कर्मचारियों सहित हवाई कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों, जो विदेशों में फंसे भारतीयों को बाहर लेकर आए, के उत्पीड़न की शर्मनाक घटनायें भी सामने आई हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस संबंध में समाज को स्पष्ट संकेत देने के लिए दोषी आरोपित किये जाने चाहिए।

हमें अपनी यूनियनों से शिकायतें मिल रही हैं कि सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त आवश्यक सेवाओं के कामगारों और कर्मचारियों को सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए आईडी प्रमाण होने के बावजूद कई क्षेत्रों में पुलिस द्वारा कार्यस्थल पर आने–जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

वे गरीब जनता जो दिहाड़ी मजदूर/अनियत/प्रवासी/कृषि कर्मचारी हैं या स्वनियोजित जैसे फेरी वाले विक्रेता, रिक्शा खींचने वाले, ई–रिक्शा/ऑटो/टैक्सी चालक हैं, वे जो ट्रक चालक और सहायक, कुली/पल्लेदार/बोझ लादने वाले–उतारने वाले मजूदर, निर्माण और बीड़ी मजदूर, घरेलू कामगार और कूड़ा बीनने वाले, आदि हैं, जो लॉकडाउन/कर्फ्यू की स्थिति में अपनी आजीविका खो रहे हैं, उनको छोड़ दिया गया है जिनके पास भरोसा करने लायक कुछ नहीं है। उनके मानवीय अस्तित्व को पूर्ण खतरे में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन की स्थिति के कारण अपनी आय और जीविका का एकमात्र साधन खो दिया है। आवश्यक चीजों जैसे कि दवाओं, स्वच्छता सामग्री, सब्जियों/फलों और अन्य खाद्य पदार्थों की घर–घर जाकर वितरण की अनुमति और सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी की तुरंत जांच करनी चाहिए।

उन्हें भोजन पकाने के लिए तत्काल आय सहायता/वित्तीय राहत, मुफ्त राशन और मुफ्त ईंधन की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से आवश्यक अनाज और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मौजूदा भंडार से तत्काल प्रभाव से की जानी चाहिए और अप्रैल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। विभिन्न कल्याण बोर्डों के तहत पंजीकृत श्रमिकों को तत्काल उपाय के रूप में 5000/– रूपये प्रदान किये जायें। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों और उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित लोगों सहित सभी अपंजीकृत लोगों को तत्काल अंतरिम नकद राहत दी जानी चाहिए। चूंकि कृषि और कृषि उत्पाद खराब होते हैं, राज्य सरकारों को फलों, सब्जियों, मछली, मुर्गी, आदि सहित इसके लिए खरीद केन्द्र शुरू करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कई मामलों में हमारी समझ में, सरकार द्वारा संचालित केन्द्रों से भोजन प्रदान किया जाना चाहिए।

इसके लिए सरकार से बड़ा आर्थिक पैकेज चाहिए। स्वच्छ पेयजल और हाथों और शरीर को धोने के लिए पानी की जरूरत, स्वच्छता और सैनिटेशन की आवश्यकता बहुत जरूरी हैं, विशेष रूप से इस महामारी की स्थिति में।

हम इस बात से आश्चर्यान्वित थे कि वित्त मंत्री की अगुवाई में सरकार का आर्थिक कार्यबल केवल आईटी रिटर्न, जीएसटी, टीडीएस के बारे में या बड़े कारोबारियों में मुख्य रूप से चूककर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिवालियापन अधिनियम के तहत मामलों, आदि के लिए समय सीमा में विस्तार करने की घोषणा करने में व्यस्त था लेकिन लगभग 54 करोड़ कामकाजी लोगों में से 40 करोड़ के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, जिनका अस्तित्व दांव पर लगा है, जो तत्काल मदद के लिए पदधारी सरकार की ओर देख रहे हैं।

हम, केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा देशभर में लागू किए जाने के लिए, कामगारों पर नियोक्ताओं द्वारा की जाने वाली छंटनी की जारी गतिविधि, वेतन कटौती, मजबूरन अवैतनिक अवकाश आदि को रोकने और प्रतिबंध

लगाने के लिए मजबूत वैधानिक लागू करने योग्य उपायों की तत्काल घोषणा की मांग करते हैं, विशेष रूप से विभिन्न प्रतिष्ठानों में अनुबंध/अनियत/अस्थायी/निश्चित अवधि के कामगार, विशेषकर निजी क्षेत्र में। सरकार द्वारा महज अपील या श्रम मंत्रालय द्वारा एडवायजरी लॉकडाउन की प्रक्रिया में रोजगार और कमाई के नुकसान को रोकने में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है।

हम मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के सबसे असुरक्षित 40 करोड़ कामगारों के लिए आय–सहायता/आजीविका–सहायता पर ठोस पैकेज/योजना की स्पष्ट घोषणा के साथ तत्काल सामने आए; अन्यथा मेहनतकश जनता के बीच न काम और न खाना की उत्कंठायें कोविड–19 महामारी से निपटने में समस्यायें पैदा करेगी। सरकार को चिकित्सा बिरादरी और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार की उभरती जरूरतों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज को तुरंत बढ़ाना होगा।

हम एमएसएमई, छोटे खुदरा व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं/स्वनियोजितों, जो लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हैं, के लिए रियायतों और ऋण–स्थगन की घोषणा की मांग करते हैं।

हम मांग करते हैं कि सरकार कोविड–19 से लड़ने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के साथ–साथ कामकाजी लोगों, जो अपरिहार्य लॉकडाउन स्थिति द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, के अस्तित्व के साधनों की सुरक्षा के लिए तत्काल पैकेज की घोषणा करे जो 5 से 7 लाख करोड़ रूपये से कम न हो। लोगों के जीवन और आजीविका को बचाना कोविड–19 संघर्ष रणनीति का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए।

इंटक	**एटक**	**एचएमएस**	**सीटू**	**एआईयूटीयूसी**
टीयूसीसी	**सेवा**	**एआईसीसीटीयू**	**एलपीएफ**	**यूटीयूसी**